# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

निगरानी सं0 07/2018

1. रणजीत पुत्र बीरबलराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम

1. आईदान पुत्र लालचन्द जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. मोहनलाल पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. धर्मपाल पुत्र हरिराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. धर्मपाल पुत्र बुधराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. सरपंच ग्राम पंचायत परलीका तहसील नोहर।
6. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।

–अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.01.2018 अपील स0 28/2016 बअनवानी अपील आईदान आदि बनाम रणजीत आदि बअदालत प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर अपास्त किये जाने हेतु।

उपस्थितः– श्री मदन मोहन जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री राजपाल झोरड़, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

**निर्णय** दिनांकः– 27.02.2020

प्रार्थी ने बअदालत अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 10.01.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है –

1. निगरानीधीन निर्णय दिनांक 10.01.2018 प्रकरण स0 28/2016 बअनवानी आईदान आदि बनाम रणजीत आदि प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official



अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरित एवं गैरकानूनी ढ़ग से पारित किया गया है।

2. अप्रार्थी स0 1 ता 4 द्वारा मातहत अदालत पंचायत समिति नोहर में अपील प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत परलीका द्वारा पार्थी रणजीत के पक्ष में जारी पटटा दिनांक 21.05.2007 को खारीज हेतु अपील प्रस्तुत की गई तथा कथन किया गया है कि गांव परलीका के वार्ड स. 16 में सार्वजनिक चौक है जो जगह सार्वजनिक समारोह व विवाह के समय टैन्ट लगाने व वाहन खड़े करने आदि क उपयोग व उपभोग में आती है। अप्रार्थी रणजीत ने तत्कालीन सरपंच से साज बाज कर विधि विरूद्ध तरीके से सार्वजनिक जगह का पटटा अपने बनवा लिया जो पटटा खारिज किया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पटटा नियम विरूद्ध मानते हुए खारीज कर दिया जबकि मातहत अदालत के समक्ष प्रार्थी ने यह भली भांति साबित किया था कि पुराना पटटे शुदा मकान था उक्त मकान के आगे की भूमि प्रार्थी के ही बल पड़ती भूमि थी। जिस पर प्रार्थी का पुराना कब्जा चला आ रहा था। ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच ने द्वेषता से वर्ष 2004 में उक्त जगह का अम्बेडकर चौक के नाम से पटटा बना दिया जो दिनांक 22. 11.2016 को पंचायत समिति नोहर द्वारा खारिज कर दिया गया और ग्राम पंचायत परलीका ने प्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार अपीलाधीन पटटा जारी कर दिया। तथा उक्त पटटा विधिवत प्रकिया अपनाकर नियमानुसार पटटा जारी कर दिया। अम्बेडकर चौक का पटटा जिस जगह का बनाया गया था वह जगह प्रार्थी स0 1 रणजीत की पुराना कब्जा शुदा भूमि थी। अपील स0 1/2005 में स्टेडिंग कमेटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2006 से उक्त चौक का पटटा खारिज कर दिया गया जाने के बाद पुराने कब्जा के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में पटटा नियमानुसार जारी किया गया है। जो पटटा सही है, उक्त पटटा के सम्बन्ध में मदनलाल आदि द्वारा सिविल न्यायालय में पेश दावा दिनांक 04.10.2016 को दावा खारिज किया जा चुका है। उक्त दावा में साक्ष्य आई है वहा रणजीत का पुराना मकान है। मौके पर कोई सार्वजनिक चौक नहीं है। बल्कि मकान बने हुए है उक्त दावा खारिजी के निर्णय के विरूद्ध अपील अभी लम्बित है। इस प्रकार कानूनी तौर पर मातहत अदालत को सिविल न्यायालय में वाद/अपील के जैरकार रहते निगरानीधीन निर्णय पारित करने का क्षेत्राधिकार हासिल नहीं था। मातहत अदालत ने विधि की अवहेलना में निगरानीधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।



अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. न्यायालय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नोहर वाद स0 269/2004 बअनवानी मदनलाल आदि बनाम रणजीत आदि निर्णय दिनांक 04.10.2016 में माननीय सिविल अदालत द्वारा यह स्पष्ट रूप फाईण्डिंग दी गई है कि वाद भूमि जो प्रार्थी के पक्ष मे पटटा जारी किया गया है वह मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है कि प्रार्थी रणजीत का जो भूखण्ड है जो सार्वजनिक स्थान पर नहीं है। उक्त न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा जो मातहत अदालत के समक्ष जो आरोप लगाये गये थे कि पटटा जारी करने से पहले प्रकिया का पालन नहीं किया गया है। सार्वजनिक सूचना अखबार में साया नही करवाई गई सार्वजनिक भूमि की जगह आदि मुददो पर सिविल न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय दिया जाकर दावा खारिज कर दिया गया उक्त वाद खारीज होने के पश्चात मातहत अदालत को सिविल न्यायालय की निर्णय की अवहेलना में निगरानीधीन निर्णय पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार हासिल नहीं था। उक्त निर्णय जो मातहत अदालत ने पारित किया है वह सिविल न्यायालय की अवमानना एव अवहेलना में पारित किया गया है। वह अधीनस्थ न्यायालय से सिविल न्यायालय वरिष्ठ खण्ड की अधिकारिता उच्च न्यायालय की है जिसके निर्णयों की अधीनस्थ न्यायालय को पालना करनी होती है इसलिए निगरानीधीन अपास्तनीय है।

4. निर्णय दिनांक 08.01.1998 अपील स0 148 बअनवानी भादरराम आदि बनाम भादर आदि में प्रार्थी का पटटा प्रशासन वित और कराधान स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर ने वैध और कानून सम्मत माना है तथा दूसरा निगरानीधीन निर्णय में प्रार्थी का पटटा खारिज किया है मातहत अदालत को विभिन्न व भिन्न–भिन्न भान्ती के निर्णय पारित करने का कानूनी अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर वर्ष 9/1998 निर्णय दिनांक 30.10.1999 बअनवानी भादर आदि भादरराम आदि में प्रार्थी के पक्ष में जारी पटटा वैध माना है तथा मौके पर कोई अम्बेडकर सर्किल न तो बना हुआ है और ना ही अम्बेडकर सर्किल अथवा चौक के नाम से कोई पटटा ग्राम पंचायत ने जारी किया। उक्त फाईण्डिंग दी गई इसके अतिरिक्त दिनांक 18.10.2005 को निर्णय प्रार्थी के पक्ष में पारित किया गया है।

5. मातहत अदालत ने दिनांक 22.11.2006 को प्रार्थी के पक्ष में प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.11.2006 के प्रस्ताव स0 10 के अनुसार सर्व समिति से निर्णय दिया गया कि प्रार्थी के पक्ष में डी.एल. की दर पर पटटा ग्राम पंचायत बनाने की कार्यवाही करें। तथा उक्त आशय की उक्त निर्णय में दिनांक 22.11.2006 को नोटशीट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की लिखी गई है जब खुद मातहत अदालत प्रार्थी के पक्ष में पटटा जारी करने का ग्राम पंचायत परलीका को आदेश जारी करती है उसके बाद मातहत अदालत को प्रार्थी के पक्ष में जारी पटटा कानूनी तौर पर खारीज करने का क्षेत्राधिकार हासिल नहीं है। इसी आधार पर निगरानीधीन निर्णय अपास्तनीय है।

6. ग्राम पंचायत परलीका द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक में दिनांक 20.07.2007 को तारीख दायरी दिनांक 21.05.2007 सम्पूर्ण पंचों व सरपंच के कोरम की बैठक में प्रस्ताव लिया गया जिसमें प्रार्थी का पटटा की जगह का मौका निरीक्षण कर पंचायत राज अधिनियम के नियम 157 के तहत 200 रूपये की राशी जमा करवाकर विनियमितिकरण का पटटा जारी करने का सर्व सम्मिति से प्रस्ताव जारी किया तथा फिर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत परलीका जो कि राजस्थान सरकार के कर्मचारी है एवं सरपंच ग्राम पंचायत परलीका द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पटटा जारी किया गया है उक्त पटटा सरपंच, उपसरपंच एवं ग्रामसेवक के द्वारा अपने हस्ताक्षर मय सील के जारी किया तथा 200 रूपये विनियमितिकरण की रसीद भी काटी गई जो खजाना राज जमा करवाई गई उक्त पटटा दिनांक 20.12.2007 को जारी किया हुआ माना गया है परन्तु मातहत अदालत ने दिनांक 21.05.2007 का पटटा अप्रार्थीगण द्वारा खारीज करवाने की अपील प्रस्तुत की गई माना है। मातहत अदालत ने दिनांक 21.05.2007 का पटटा प्रार्थी के पक्ष में था ही नही तो कैसे खारीज कर दिया कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया मातहत अदालत का निर्णय बिना किसी विश्लेषण व विवेचन के पारित किया गया है जो खारीज योग्य है।

7. सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नोहर के समक्ष दयाराम पुत्र हरीसिंह डी.डब्ल्यू–9 में सशपथ ब्यान दियें की मैं ग्राम पंचायत परलीका में ग्राम सेवक के पद पर नियुक्त था तथा उक्त कार्यकाल के दौरान प्रार्थी रणजीत का पटटा पूराने कब्जा के मकान का पटटा ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव की पालना में नियमानुसर जारी किया था। मेरे सामनेउक्त सरपंच भानीराम व सरपंच खिराज राम ने उक्त पटटे पर हस्ताक्षर किये थे। वह इसके अतिरिक्त अन्य गवाहान जो सिविल न्यायालय में सशपथ ब्यान दिये जिनमें यह साबित था कि प्रार्थी के पक्ष में पटटा वैध है तथा मौके पर कोई सार्वजनिक चौक नहीं है। उक्त कानूनी बातों को मातहत अदालत ने नजर अन्दाज करते हुए गैर कानूनी ढंग से निगरानीधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)



सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानीधीन निर्णय दिनांक 10.01.2018 प्रकरण संख्या 28/2016 बअनवानी आईदान आदि बनाम रणजीत आदि प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति नोहर का प्रार्थी को पूर्व मे कोई ज्ञान नहीं था तथा दिनांक 10.01.2018 को अप्रार्थीगण ने उक्त सूचना गांव में ऐलानिया तौर पर दी है प्रार्थी का पटटा शुदा भूखण्ड व तामिरात शीघ्र मिस्सार कर देगे तथा जिस पर प्रार्थी दिनांक 10.01.2018 को मातहत अदालत के समक्ष निगरानीधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया दिनांक 12.04.2018 को उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त की है तथा पंचायत समिति प्रधान व स्थानीय विधायक राजनैतिक तौर से प्रार्थी के विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण व निर्णय गोपनीय रखा गया प्रार्थी को कोई सूचना एवं भनक नहीं होने दी प्रार्थी रोज–रोज अधीनस्थ न्यायालय का चक्कर लगाता रहा है परन्तु हर बार यह कहकर टरका दिया जाता कि तुम्हें निर्णय होने पर सूचना कर दी जावेगी। दिनांक 12.04.2018 को नकल प्राप्ति से निगरानी अन्दर मियाद है दोयम कानून विरूद्ध वह क्षेत्राधिकार विहिन निर्णय पारित किया गया है जिस पर कोई मियाद अवधि कानूनी तौर पर लागू नही होती है फिर दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः निगरानी प्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर निगरानीधीन निर्णय दिनांक 10.01.2018 प्रकरण संख्या 28/2016 बअनवानी आईदान आदि बनाम रणजीत आदि बअदालत प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर को अपास्त फरमाया जावें।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर का निर्णय दिनांक 10.01.2018 द्वारा हमारा पटटा खारिज कर दिया। हमें दिनांक 21.05.2007 को पटटा जारी किया गया था। ग्राम परलीका में सार्वजनिक चौक में जो जगह सार्वजनिक कार्यो में आती थी ऐसी जगह का पटटा बना दिया जिसे खारिज किया जायें जबकि हमें नियमानुसार पटटा जारी किया गया है। सरपंच ने द्वेषता से वर्ष 2004 में उक्त जगह का अम्बेडकर चौक के नाम से पटटा बना दिया जो दिनांक 22.11.2016 को पंचायत समिति नोहर ने खारिज कर दिया। दिनांक 22.11.2016 के आदेश द्वारा जो पटटा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खारिज हुआ उस निर्णय की कोई अपील नहीं हुई तब ग्राम पंचायत परलीका द्वारा प्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार अपीलाधीन पटटा जारी कर दिया। सिविल कोर्ट में उन्होनें दावा किया वह खारीज हो चुका था। सिविल कोर्ट ने हमारे पटटे को वैध मान लिया तो फिर उस पटटे को प्रशासन स्थापना समिति में चुनौतिया देना ही गलत था। पंचायत समिति ने दो विरोधाभाषी निर्णय किये है दिनाक 22.11.2016 को सार्वजनिक जगह नहीं मानकर खारिज किया और दिनांक 10.01.2018 को सार्वजनिक मानकर खारिज किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर वर्ष 9/1998 निर्णय दिनांक 30.10.1999 में प्रार्थी के पक्ष में जारी पटटा वैध माना है। उक्त पटटे के संबंध में पूर्व में निर्णय हो चुके है। अपीलाधीन निर्णय गलत है निगरानी स्वीकार करें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया कि सिविल कोर्ट कब्जें के बारे में निर्णय दे सकता है पटटे की वैधता के बारे में नहीं। इनका पटटा सार्वजनिक स्थान का चौक का पटटा मानते हुए निरस्त किया गया है जो सही है। पूर्व में क्या हुआ इससे हमें कोई मलतब नहीं है। निगरानी खारिज फरमावें।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में पुनः निवेदन किया कि सिविल कोर्ट ने तनकीयात कायम कर हमारे पटटो को वैध माना है। प्रमाणित प्रतिया पेश की है अतः निगरानी स्वीकार फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध पंचायत समिति के निर्णय दिनांक 08.01.98 की फोटोप्रति एवं न्यायालय अपर जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 30.10.99 के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकार भी उसमें पक्षकार था एवं इन दोनो निर्णयों में उनको जारी किये गये पटटे को नियमानुसार माना गया है। इसके साथ ही पत्रावली में प्रस्तुत माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नोहर के आदेश दिनांक 04.10.16 में भी निगरानीकार को जारी किये गये पटटे से सम्बन्धित तनकी निगरानीकार के पक्ष में साबित की गई है। किन्तु इन सभी में पंचायत समिति के निर्णय दिनांक 08.01.98 एवं दिनांक 22.11.06 का आधार लिया गया है अर्थात उक्त पटटा इन निर्णयों की पालना में जारी होने से पटटे को नियमानुसार माना गया है किन्तु उक्त पटटा दिनांक 22.11.2006 के निर्णय अनुरूप जारी नही हुआ है। पंचायत समिति के निर्णय दिनांक 22.11.06 मे स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि अपीलांट उक्त भूमि का डीएलसी दर पर पटटा चाहे तो ग्राम पंचायत नियमानुार आगे की कार्यवाही करें अतः ग्राम पंचायत को डीएलसी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दर के आधार पर निगरानीकार से प्रार्थना पत्र लेकर पटटा जारी करना चाहिए था किन्तु निगरानीकार को जारी पटटे की फोटोप्रति जिसमें मिसल संख्या 17/2007–08 दायर तारीख 21.05.07 एवं पंचायत के संकल्प संख्या 6(13) दिनांक 20.07.07 एवं राशी रूपये 200 की जमा रशीद संख्या 77 दिनांक 20.12.07 का अंकन है साथ ही पटटा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 157 के अन्तर्गत पुराने गृह का विनियमीतीकरण कर जारी किया गया है जो पंचायत समिति के निर्णय दिनांक 22.11.06 के अनुरूप डीएलसी दर पर जारी नहीं किया गया है एवं इसी आधार पर पंचायत समिति नोहर की प्रशासन एवं स्थापना समिति ने अपने निर्णय दिनांक 10.01.18 में उक्त पटटे को खारीज किया गया है जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल पत्रावली रहें। निर्णय की प्रति पंचायत समिति नोहर को पालनार्थ प्रेषित हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर